प्रेषक,

निदेशक,
यूपीनेडा,लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद– झांसी।

पत्रांकः 2920/नेडा–एसई–फोर्थ पार्टनर सो0पा0 प्रा.लि/50 मे.वा/सरकारी भूमि लीज/2023 दिनांक 22/8/2023

विषयः मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा.लि. हैदराबाद द्वारा ऑपेन एक्सेस के अन्तर्गत 70 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम0–बुढ़पुरा बबीना, तहसील–झांसी, जनपद–झांसी में चिन्हांकित 47.33 एकड मतरूक/सरकारी भूमि एवं ग्राम–बैजपुर जनपद झांसी में 13.32 एकड़ (बंजर,नवीनपती) कुल 60.65 एकड़ सरकारी भूमि को सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत लीज पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा.लि. हैदराबाद क ई–मेल पत्र दिनांक 17.08.2023 (प्रति सलंग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 70 मेगावाट मेगावाट क्षमता सौर पावर परियोजना की स्थापना ग्राम0–बुढ़पुरा बबीना, तहसील–झांसी, जनपद–झांसी में चिन्हांकित 47.33 एकड मतरूक/सरकारी भूमि एवं ग्राम–बैजपुर जनपद झांसी में 13.32 एकड़ (बंजर,नवीनपती) कुल 60.65 एकड़ सरकारी भूमि को लीज पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में सूचनीय है कि राजस्व अनुभाग द्वारा शासनादेश संख्या 5/ 2023 / प्र0स0–53/एक–1–2023–रा0–1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 (प्रति सलंग्न) निर्गत किया गया है,जिसमें उल्लेखित है कि "उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति–2022 से आच्छादित परियोजना के कियान्वयन हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा–77 (1) की भूमियों को छोड़कर धारा–59 की उपधारा–2 के खण्ड–(एक), (तीन) तथा (चार) की भूमि को 1 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिये पट्टे पर प्रशासकीय विभाग के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जो अपने स्तर से परियोजना के कियान्वयन हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को उपलब्ध कराया जायेगा"

तत्कम में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1050/87–अति0ऊ0स्रो0वि0/2023 दिनांक 03 अगस्त,2023 (प्रति सलंग्न) के द्वारा सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये है।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 01 में उल्लेखित है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र के निवेशको को रू. 15000/– प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के लीज रेन्ट पर तथा सार्वजनिक उपकमों हेतु रू0 1.00 प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के सांकेतिक मूल्य पर लीज पर 30 वर्षो के लिए भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 08 उल्लेखित है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पास जो भूमि उपलब्ध होगी उसे प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर लीज पर दिये जाने के लिए प्रस्तावित की जायेगी। निवेशक द्वारा एक महीने के अन्दर अपनी फाइनेन्शियल नेटवर्थ,डीपीआर,बैकवर्ड एण्ड फारवर्डलिंकेज तथा अन्य सुसंगत विवरण यूपीनेडा के समक्ष प्रस्तुत करने होगे। उसके बाद ही उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत लीज डीड निष्पादित की जा सकेगी।

......2/–

शासनादेश के बिन्दु सख्या 13 में उल्लेखित है कि निवेशक द्वारा वार्षिक लीज रेन्ट नियमित रूप से अग्रिम के रूप में यूपीनेडा में जमा किया जायेगा।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 14 में उल्लेखित है कि निवेशक से प्राप्त होने वाले वार्षिक लीज रेन्ट को यूपीनेडा द्वारा सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा इस हेतु सभी भूमि का अलग–अलग लेखा बनाकर सुरक्षित रखा जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में 70 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु चिन्हांकित सरकारी भूमि 60.65 एकड़ लीज पर उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपीनेडा द्वारा लीज रेंट की वार्षिक धनराशि रू. 61.00 (रूपये इक्सठ मात्र) को राजकोष लेखाशीर्षक"0029– भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियां–08–मालकाना–राजस्व–0806 प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा किया गया है (चालान की मूलप्रति सलंग्न।)

अस्तु उपरोक्त के दृष्टिव्य आपसे अनुरोध है कि सौर पावर परियोजना की स्थापना ग्राम0–बुढ़पुरा बबीना, तहसील–झांसी, जनपद–झांसी में चिन्हांकित 47.33 एकड मतरूक/सरकारी भूमि एवं ग्राम–बैजपुर जनपद झांसी में 13.32 एकड़ (बंजर,नवीनपती) कुल 60.65 एकड़ सरकारी भूमि को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष हेतु पट्टे पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सलंग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक,यूपीनेडा।

प्रतिलिपिः–1. मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा.लि. हैदराबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक,यूपीनेडा।

कोषागार प्रपत्र–209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–2

प्रपत्र संख्या–43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा .... कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम : निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण, लखनऊ
2. पता :
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या : (यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण : (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।) सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु तहसील-बक्शी का तालाब में भूमि की लीज रेंट धनराशि जमा करने हेतु।
5. चालान की सकल राशि : रु0 61.00
6. चालान की निबल राशि :
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर : "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालखाना-राजस्व-0806 प्रकीर्ण प्राप्तियाँ"
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड :

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य–शीर्षक	लघु–शीर्षक	उप–शीर्षक	व्यौरेवार–शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0029	00	800	08	08 06	61.00
				योग	61.00

धनराशि (शब्दों में) : (रुपया इकसठ मात्र)

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण, लखनऊ

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या : HI 35050

अंको में रू0	61/-
शब्दों में रू0	Sixty one

दिनांक : ....

भारतीय स्टेट बैंक, 18 AUG 2023, SBI

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता उपकोषागार/बैंक की मुहर सहित

हस्ताक्षर ....

rediffmail

Mailbox of ho_nks

Subject: Fw: Govt. Application - Fourth Partner Solar Power Private Limited

From: Pavan Kumar AVS <pavankumar@fourthpartner.co> on Thu, 17 Aug 2023 13:55:43

To: "ho_nmk@rediffmail.com" <ho_nmk@rediffmail.com>, Narendra Singh <ho_nks@rediffmail.com>

Cc: H N Tripathi <hntripathi@fourthpartner.co>

---

5 attachment(s) - Adobe_Scan_Jul_24__2023.pdf (3.72MB) , letter-1.pdf (191.46KB) , land_letter.pdf (394.65KB) , CamScanner_05-26-2023_12.42.pdf (5.25MB) , IMG-20230724-WA0000.jpg (203.80KB)